भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड,
भोपालपानी, देहरादून

संख्याः 16 /ई0निवि0सह ई0नीला0/संशोधन/भू0खनि0ई0/2017–18 दिनांकः 27 फरवरी, 2018

संशोधन

कार्यालय ज्ञाप

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून के विभागीय वेब पोर्टल www.dgm.uk.gov.in पर वैध पंजीकृत बिडर्स हेतु जनपद पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, रूद्रप्रयाग, हरिद्वार एवं पौड़ी गढ़वाल के 05.00 है0 तक के क्षेत्रफल के कुल 85 घोषित रिक्त उपखनिज क्षेत्रों को उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के सुसंगत नियमों के अधीन ई–निविदा सह ई–नीलामी के माध्यम से परिहार पर स्वीकृत किये जाने हेतु पारदर्शिता पूर्ण कार्यवाही किये जाने के लिए भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की वेबसाईट www.dgm.uk.gov.in पर ई–निविदा सह ई–नीलामी की प्रकिया को निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के आदेश संख्या 856/ई0निवि0सहई0नीला0/भू0खनि0ई0/2017–18, दिनांक 29 जनवरी, 2018 में अभिलिखित कारणों से निरस्त करते हुए उपरोक्त वर्णित सम्बन्धित जनपदों के स्थायी निवासी अथवा स्थायी निवासियों की समिति, जो कोआपरेटिव सोसाईटी एक्ट में पंजीकृत हो, हेतु ई–निविदा सह ई–नीलामी जनपद पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, रूद्रप्रयाग, हरिद्वार एवं पौड़ी गढ़वाल के 05.00 है0 तक के क्षेत्रफल के कुल 85 घोषित रिक्त निम्नलिखित उपखनिज क्षेत्रों हेतु पृथक–पृथक ई–निविदा सह ई–नीलामी आमंत्रण प्रपत्र, दिनांक 07 फरवरी, 2018 प्रकाशित किये गये हैं :–

क्र0 सं0	खनन क्षेत्र का नाम	क्षेत्रफल है0 में
1.	पौड़ी गढ़वाल	34
2.	उत्तरकाशी	21
3.	पिथौरागढ़	12
4.	रूद्रप्रयाग	02
5.	हरिद्वार	16
	कुल	**85**

2– जनपद पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, रूद्रप्रयाग, हरिद्वार एवं पौड़ी गढ़वाल के 05.00 है0 तक के क्षेत्रफल के कुल 85 घोषित रिक्त उपखनिज क्षेत्रों हेतु ई–निविदा सह ई–नीलामी आमंत्रण प्रपत्र, पर्वतीय क्षेत्र एवं मैदानी क्षेत्र हेतु दिनांक 07 फरवरी, 2018 को पृथक–पृथक प्रकाशित किये गये है। उक्त ई–निविदा सह ई–नीलामी आमंत्रण प्रपत्रों में आंशिक संशोधन करते हुए जहां–जहां पर राष्ट्रीय बैंक इंगित हुआ है, **के स्थान पर वाणिज्यिक बैंक पढा जाय।**

3– उक्त उल्लिखित जनपदों के 05.00 हैक्टेयर तक क्षेत्रफल के कुल 85 घोषित रिक्त उपखनिज क्षेत्रों पर्वतीय एवं मैदानी हेतु प्रकाशित ई–निविदा सह ई–नीलामी आमंत्रण प्रपत्रों को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय तथा उनमें उल्लिखित शेष बिन्दु यथावत् पढ़े जाय।

27/02/18
निदेशक